निर्णय व इजलास डॉ॰ जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 141/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स कृषिता फूड प्रोसेस इण्डस्ट्रीज प्रा॰ लि॰
डायरेक्टर श्रीमती पार्वती देवी चौधरी
डायरेक्टर श्रीमती मनीषा डालमिया
(अ) रजिस्टर्ड आफिस बी–5, गीतान्जली टावर, महरामपुरा, अजमेर रोड, जयपुर ।
(ब) खसरा नम्बर 1106/3/1 व 1108/3/1 ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
(2) श्रीमती पार्वती देवी चौधरी पत्नी श्री प्रभू दयाल चौधरी
89, विकास नगर, ढहर का बालाजी वार्ड नं॰ 68, जयपुर ।
(3) श्रीमती मनीषा डालमिया पत्नी श्री विकास अग्रवाल
डी–189 ए, रोड नं॰ 1–डी, वी के आई ए जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.11.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31/03/2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स कृषिता फूड प्रोसेस इण्डस्ट्रीज प्रा॰ लि॰ के स्वामित्व के खसरा नम्बर 1106/3/1 व खसरा नम्बर 1108/3/1 ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित सम्पत्ति क्षेत्रफल 4200 वर्गमीटर को बन्धक एवं प्लान्ट एण्ड मशीनरी एण्ड अदर एसेट्स इत्यादि तथा स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स इत्यादि को हाईपोथिकेटेड कर केश कडिट लोन खाते में 95 लाख रूपया एवं टर्म लोन खाते में 90 लाख रूपया इस प्रकार दोनों खातों में कुल 185 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.07.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक एवं दृष्टिबन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर न्याय हित में सूचना पत्र अप्रार्थीगण को जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल 185 लाख रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज केश कडिट लोन खाते में 77,63,538/–रूपये एवं टर्म लोन खाते में 73,2,1387/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.07.2016 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन उनके पते पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गये, जो तामील नही होने से प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाकर तामील की गई। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स कृषिता फूड प्रोसेस इण्डस्ट्रीज प्रा॰ लि॰ के स्वामित्व की बन्धक औद्योगिक संपरिवर्तित सम्पत्ति खसरा नम्बर 1106/3/1 व खसरा नम्बर 1108/3/1 ग्राम ढोढसर, तहसील चौमू जिला जयपुर क्षेत्रफल 4200 वर्गमीटर एवं प्लान्ट एण्ड मशीनरी एण्ड अदर एसेट्स इत्यादि तथा स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर प्रार्थी बैंक को दिलाने हेतु संबधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/11/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर